

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2013

संख्या 1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0 / श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, भा0पु0से0 (1994) पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0-8284 दिनांक 06.11.2013 के द्वारा पूर्व में स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Live) को संशोधित करते हुये कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-13018/2/2008-Estt (L) दिनांक 11.09.2008 के आलोक में दिनांक 15.11.2013 से 13.05.2014 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Live) की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Live) के क्रम में श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, भा0पु0से0 (1994) पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 13 एवं 20 के अनुसार 280 (दो सौ अस्सी) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश को पूर्ण रूप से रूपान्तरित करते हुये दिनांक 14.05.2014 से 02.10.2014 तक कुल 140 (एक सौ चालीस) दिनों की रूपान्तरित (चिकित्सकीय) अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2013

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (वेबसाइट : [www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in)) ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0 5884 /पटना, दिनांक 15 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1677/एक्स0पी0, दिनांक 21.05.2014 के प्रसंग में/श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, भा0पु0से0 (1994), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (वेबसाइट: [www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in)) पर दर्शाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के विशेष सचिव